केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 22.06.2017

सीबीआई ने एन.आर.एच.एम. योजना से सम्बन्धित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन प्रमुख सचिव एवं तत्कालीन मंत्री के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया

के.अ. ब्यूरो ने वर्ष 2009-2010 के दौरान कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन प्रमुख सचिव (सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी) तथा इसी प्रदेश के तत्कालीन मंत्री के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, गाज़ियाबाद (उत्तरप्रदेश) में आज पूरक आरोप पत्र दायर किया।

वर्तमान मामला, 31.59 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य के 515 फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफ.आर.यू.) किट एवं 2050 इन्ट्रा यूटेरिन डिवाइस (आई.यू.डी.) किट की आपूर्ति से सम्बन्धित है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों विशेषकर भारतीय जनसंख्या के गरीबों एवं कमजोर वर्गों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित समस्त भारत के विभिन्न प्रदेशों में वर्ष 2005-2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन प्रारम्भ किया। हालाँकि, उक्त आरोपियों ने अन्य आरोपियों जिनके विरूद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल है, की मिलीभगत से एन.आर.एच.एम. स्कीम को लागू करने में सरकारी खजाने को तथाकथित 21.20 करोड़ रू. (लगभगा) की अनुचित हानि पहुँचाई एवं उन लोगों ने उसी अनुरूप लाभ कमाया। पूरक आरोप पत्र में लगभग सात हजार दस्तावेजों को शामिल किया गया जिसमें एन.आर.एच.एम. धनराशि से पैसा निकालने के लिए इन आरोपियों के द्वारा अपनाये गए तरीकों का खुलासा हुआ। सीबीआई ने पाँच आरोपियों के विरूद्ध इस मामले में पूर्व में दिनांक 25.02.2013 को आरोप पत्र दायर किया एवं बड़े पैमाने पर हुए षड़यंत्र का खुलासा करने के लिए आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की जाँच को जारी रखा।

गहन जाँच के पश्चात, उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुआ। एक अन्य आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर नही हुआ चूकि आगे की जाँच के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जाँच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****